नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 167
दि. 22.03.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

प्यासा महानगर: पानी से घिरी मुंबई में हर गर्मी क्यों लौट आता है जल संकट

(जीएनएस)। मुंबई। विश्व जल दिवस पर जब पूरी दुनिया जल संरक्षण और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा कर रही है, तब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सुबहें एक अलग ही सच्चाई बयां करती हैं। यहां दिन की शुरुआत सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि नलों में पानी आने के समय से होती है। अलार्म घड़ी की जगह पानी की टंकी का समय लोगों को जगाता है। कोई बाल्टियों की कतार लगाए खड़ा है, तो कोई प्लास्टिक के ड्रम भरने की जुगत में लगा हुआ है। यह दृश्य किसी सूखे प्रभावित गांव का नहीं, बल्कि उस शहर का है जो हर साल मानसून में पानी से लबालब भर जाता है।

विडंबना यह है कि जहां एक ओर मुंबई में बरसात के दिनों में आसमान जैसे फट पड़ता है और सड़कों पर नदियां बहने लगती हैं, वहीं कुछ ही महीनों बाद वही शहर पानी के लिए तरसता नजर आता है। शहर को पानी देने वाले सात प्रमुख जलाशय—भातसा, मोडक सागर, तानसा, तुलसी, विहार, अपर वैतरणा और मिडिल वैतरणा—हर साल मानसून के दौरान लगभग भर जाते हैं। सामान्य वर्षा होने पर यह व्यवस्था पूरे साल की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम मानी जाती है, लेकिन हकीकत हर गर्मी में इसके उलट दिखाई देती है।

इस विरोधाभास के पीछे सबसे बड़ा कारण है शहर का तेजी से फैलता दायरा और लगातार बढ़ती पानी की मांग। मुंबई अब केवल एक शहर नहीं रह गया है, बल्कि यह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली और आसपास के कई शहरी इलाकों को मिलाकर एक विशाल महानगरीय क्षेत्र बन चुका है। इस पूरे क्षेत्र में आबादी बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं और जीवनशैली भी अधिक पानी खपत करने वाली होती जा रही है। ऐसे में पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि आपूर्ति उसी अनुपात में नहीं बढ़ पा रही।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका रोजाना लगभग 4,100 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति करती है, लेकिन वास्तविक जरूरत इससे कहीं अधिक है। इस पूरी जल आपूर्ति व्यवस्था का एक बड़ा

हिस्सा भांडुप जलशुद्धिकरण संकुल पर निर्भर करता है, जो शहर को मिलने वाले पानी का लगभग आधा हिस्सा शुद्ध कर सप्लाई करता है। यही संकुल मुंबई की जल व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन अब यहां के पुराने पंप एक बड़ी चिंता बनकर सामने आ रहे हैं।

भांडुप पंपिंग स्टेशन में लगे चार पंप 1978 से 1980 के बीच स्थापित किए गए थे और तब से लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। अब ये पंप 20,000 घंटे से अधिक समय तक चल चुके हैं और उनकी कार्यक्षमता में कमी आने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने लंबे समय तक निरंतर उपयोग के बाद इनकी व्यापक मरम्मत या प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाता है। यदि इनमें से कोई पंप अचानक बंद हो जाता है, तो मुंबई के बड़े हिस्से में पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे गंभीर संकट पैदा हो सकता है।

लेकिन समस्या केवल आपूर्ति या इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। असली चुनौती जल-प्रबंधन की है। हर साल मानसून में लाखों लीटर पानी सड़कों, नालों और नदियों के जरिए समुद्र में बहकर चला जाता है। वही पानी यदि संरक्षित किया जाए, तो गर्मियों में होने वाली कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। इसके लिए वर्षा जल संचयन यानी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। हालांकि शहर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को लेकर नियम बनाए गए हैं, लेकिन उनका पालन अधिकतर कागजों तक ही सीमित रह जाता है। कई इमारतों में यह प्रणाली या तो लगाई ही नहीं जाती या फिर केवल औपचारिकता के तौर पर स्थापित कर दी जाती है, जिसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं होता। यदि इस व्यवस्था को ईमानदारी से लागू किया जाए, तो मुंबई जैसे शहर में जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा, शहर की पुरानी पाइपलाइनें भी एक बड़ी समस्या हैं। जगह-जगह लीकेज के कारण बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के कई शहरों में 20 से 30 प्रतिशत तक पानी केवल पाइपलाइन लीकेज और खराब वितरण व्यवस्था में ही नष्ट हो जाता है। मुंबई भी इससे अछूता नहीं है।

शहर में तेजी से हो रहे निर्माण और निजी बोरवेल के बढ़ते उपयोग ने भूजल स्तर पर भी दबाव बढ़ा दिया है। कंक्रीट के जंगल में जमीन की प्राकृतिक जल धारण क्षमता खत्म होती जा रही है, जिससे भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। लेकिन इस पर नियंत्रण के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

मुंबई की यह स्थिति केवल एक शहर की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। यदि एक संसाधन-संपन्न महानगर में यह हाल है, तो छोटे शहरों और कस्बों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पानी की समस्या धीरे-धीरे एक बड़े संकट का रूप ले रही है, जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है।

यदि समय रहते जल प्रबंधन, संरक्षण और वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब शहरों में सबसे लंबी कतारें पानी के लिए लगेंगी। लोग बाल्टियों और ड्रम के साथ घंटों इंतजार करेंगे और पानी एक कीमती संसाधन से भी ज्यादा एक संघर्ष का कारण बन जाएगा।

मुंबई की प्यास दरअसल आने वाले भविष्य की तस्वीर है—एक ऐसी तस्वीर, जिसमें पानी के लिए जद्दोजहद आम बात होगी। यह समय चेतने का है, क्योंकि यदि अभी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

सोशल मीडिया ट्रायल पर सुप्रीम चेतावनी: आरोपियों की तस्वीरें वायरल करना न्याय प्रक्रिया के लिए खतरा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। डिजिटल युग में जहां हर घटना कुछ ही सेकंड में सोशल मीडिया पर पहुंच जाती है, वहीं अब न्यायपालिका ने इस प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा आरोपियों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने के बढ़ते चलन को लेकर सख्त रुख अपनाया है और इसे निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया के लिए खतरनाक बताया है। देश की सर्वोच्च अदालत की बेंच, जिसमें सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे, ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी की तस्वीर या वीडियो को इस तरह सार्वजनिक करना, खासकर जब मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन हो, न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

यह मामला उस याचिका के जरिए सामने आया, जिसे हेमेंद्र पटेल ने दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिसकर्मी अक्सर आरोपियों की ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिनमें वे हथकड़ी लगाए, रस्सियों से बंधे या अपमानजनक स्थिति में दिखाई देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि समाज में उसके खिलाफ पहले से ही एक

नकारात्मक धारणा बन जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि यह प्रवृत्ति "ट्रायल बाय मीडिया" को बढ़ावा देती है। यानी अदालत में मामला साबित होने से पहले ही सोशल मीडिया और जनता के बीच आरोपी को दोषी मान लिया जाता है। यह स्थिति न्याय के उस सिद्धांत के विपरीत है, जिसमें हर व्यक्ति को दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है।

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को जो अधिकार दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री साझा करना केवल लोकप्रियता या प्रचार पाने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। यह न केवल आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के वीडियो और फोटो वायरल होने से गवाहों, जूरी जैसी व्यवस्था (जहां लागू हो) और आम जनता के मन में पहले से ही एक धारणा बन जाती है, जो निष्पक्ष सुनवाई के रास्ते में बाधा बन सकती है। इसके अलावा, आरोपी के सामाजिक जीवन, प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति पर भी इसका गहरा असर पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब कई मामलों में पुलिस कार्रवाई के तुरंत बाद आरोपियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। कभी उन्हें परेड कराते हुए दिखाया जाता है, तो कभी सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए। इस पर पहले भी मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है।

अदालत ने संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं, ताकि पुलिस और जांच एजेंसियां अपनी सीमाओं को समझें और उनका पालन करें। यह भी संभव है कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। इस पूरे मामले ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है—क्या तकनीक के इस दौर में हम न्याय की मूल भावना को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं? क्या सोशल मीडिया की तेज रफ्तार के कारण हम किसी व्यक्ति को अदालत के फैसले से पहले ही दोषी ठहराने लगे हैं?

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल एक कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। यह हमें याद दिलाती है कि न्याय केवल सजा देने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निष्पक्ष, संतुलित और गरिमापूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाना जरूरी है।

चुनावी संग्राम में तीखे शब्दों की गूंज: ममता बनर्जी का केंद्र पर सीधा हमला, वोटर लिस्ट बना बड़ा मुद्दा

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। कोलकाता के रेड रोड पर ईद के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उनके बयान ने न केवल राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है, बल्कि चुनावी बहस को भी नई दिशा दे दी है।

अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा आरोप लगाते हुए उन्हें "सबसे बड़ा घुसपैठिया" करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लोगों को 'घुसपैठिया' कहकर डराती है और समाज में धार्मिक आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश करती है। ममता ने आरोप लगाया कि यह रणनीति केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनाई जा रही है, जिससे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंच रहा है।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में सबसे ज्यादा जोर मतदाता सूची के मुद्दे पर दिया। उनका आरोप है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के जरिए जानबूझकर वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस

प्रक्रिया का सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यक समुदाय पर पड़ रहा है, जिससे उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को केवल राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वे कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुकी हैं।

ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार बंगाल की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और राज्य में "अनौपचारिक राष्ट्रपति शासन" लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है।

चुनावी माहौल में दिए गए इस भाषण में ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों को भी स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने नारा दिया—"भाजपा हटाओ, देश बचाओ", जो आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी की रणनीति का मुख्य आधार बन सकता है। उनके इस नारे से यह साफ संकेत मिलता है कि तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव को केवल राज्य का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़कर देख रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के तीखे बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं, जिनका उद्देश्य समर्थकों को एकजुट करना और विरोधियों पर दबाव बनाना होता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले भी ऐसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल देखा गया है, लेकिन इस बार की बयानबाजी ने माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन आरोपों का जवाब भी आने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और तेज हो सकती है। चुनाव नजदीक आते ही दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तीव्र होने की उम्मीद है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच मतदाता सूची का मुद्दा अब चुनावी बहस के केंद्र में आ गया है। यदि इस पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तो यह आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग अब केवल विकास और योजनाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह आरोप-प्रत्यारोप, कानूनी लड़ाई और राजनीतिक रणनीतियों का जटिल मिश्रण बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सियासी संग्राम किस दिशा में आगे बढ़ता है और मतदाता किस मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं।

न्याय व्यवस्था में तकनीकी क्रांति: 'लेगरा' से मिनटों में होगा कानूनी शोध, बदलती अदालतों की नई तस्वीर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत की न्यायपालिका, जिसे अक्सर लंबित मामलों और धीमी प्रक्रिया के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है, अब तकनीक के सहारे एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की पहल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल्स 'लेगरा' और 'डिजिटल कोर्ट्स 2.1' के जरिए न्यायिक कार्यप्रणाली को तेज, सटीक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

भारतीय अदालतों में एक सामान्य समस्या रही है—मामलों की लंबी सूची और निर्णय तक पहुंचने में लगने वाला समय। जजों को किसी भी केस की सुनवाई से पहले पुराने फैसलों, कानून की धाराओं और संबंधित दस्तावेजों का गहन अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें कई बार घंटों ही नहीं, बल्कि दिनों का समय लग जाता है। ऐसे में 'लेगरा' यानी लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट एक गेम-चेंजर के रूप में उभर रहा है।

यह एआई टूल जजों को हजारों पन्नों की फाइलों में से जरूरी जानकारी छांटकर कुछ ही मिनटों में उपलब्ध कराता है। मान लीजिए किसी केस में पूर्व के फैसलों की जरूरत है, तो 'लेगरा' संबंधित सभी न्यायिक निर्णयों को खोजकर उनका विश्लेषण प्रस्तुत कर सकता है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि निर्णय की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है।

इस तकनीक के विकास में आईआईटी मद्रास की अहम भूमिका रही है, जहां

एआई और मशीन लर्निंग (ML) के आधुनिक मॉडल्स के जरिए इसका प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। फिलहाल इसका परीक्षण जारी है, ताकि इसे पूरी तरह विश्वसनीय और सुरक्षित बनाया जा सके।

सिर्फ 'लेगरा' ही नहीं, बल्कि 'डिजिटल कोर्ट्स 2.1' भी न्यायपालिका को कागजरहित और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जहां किसी भी केस से जुड़ी हर जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी। इससे जजों, वकीलों और कोर्ट स्टाफ को अलग-अलग स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

इस प्लेटफॉर्म में 'श्रुति' और 'पानिनी' जैसे उन्नत फीचर्स भी जोड़े गए हैं। 'श्रुति' वॉयस-टू-टेक्स्ट तकनीक के जरिए जजों द्वारा बोले गए शब्दों को तुरंत लिखित रूप में बदल देता है, जिससे आदेश लिखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वहीं 'पानिनी' अनुवाद सुविधा प्रदान करता है, जिससे विभिन्न भाषाओं में मौजूद दस्तावेजों को आसानी से समझा जा सके।

इन तकनीकों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है—डेटा प्राइवेसी। एआई के बढ़ते उपयोग के साथ डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ी है, लेकिन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 'लेगरा' और 'डिजिटल कोर्ट्स 2.1' केवल आधिकारिक न्यायिक डेटा का ही उपयोग करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के प्रमाणित फैसलों और आदेशों को ही शामिल किया जाएगा, जिससे जानकारी की विश्वसनीयता बनी रहेगी और डेटा लीक का खतरा कम होगा।

न्यायपालिका में इस तकनीकी बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसके तहत करीब 53.57 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य अदालतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी व सुलभ बनाना है।

इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने एआई के उपयोग की निगरानी के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया है। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि तकनीक का इस्तेमाल न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो और किसी भी तरह की त्रुटि या पक्षपात से बचा जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि एआई आधारित यह बदलाव भारतीय न्यायपालिका के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। जहां एक ओर इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, वहीं दूसरी ओर न्याय की गुणवत्ता और पारदर्शिता में भी सुधार होगा।

हालांकि, यह भी जरूरी है कि तकनीक को केवल सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाए, न कि निर्णय लेने वाले मुख्य साधन के रूप में। अंतिम निर्णय हमेशा मानवीय विवेक और न्यायिक समझ पर ही आधारित होना चाहिए।

कुल मिलाकर, 'लेगरा' और 'डिजिटल कोर्ट्स 2.1' जैसे प्रयास यह संकेत देते हैं कि भारतीय न्यायपालिका अब पारंपरिक ढांचे से निकलकर आधुनिक और तकनीक-समर्थ प्रणाली की ओर बढ़ रही है। यह बदलाव न केवल जजों के काम को आसान बनाएगा, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी न्याय तक पहुंच को तेज और सरल बना सकता है।

अगर यह पहल सफल होती है, तो आने वाले वर्षों में अदालतों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है—जहां फाइलों के ढेर की जगह डिजिटल स्क्रीन होंगी और घंटों का काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो सकेगा।

संपादकीय

बंद हो मैला सफाई की अमानवीय प्रथा

सदियों की लाचारी और समाज की संवेदनहीनता के चलते हाथ से सीवर की सफाई की अमानवीय प्रथा बदस्तूर जारी है। जारी ही नहीं है बल्कि मजबूर सफाई कर्मियों की मौत का सबब भी बनी हुई है। निश्चय ही यह घिनौनी प्रथा किसी भी सभ्य समाज के लिये एक कलंक के समान ही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हाथ से सीवर लाइन साफ करने की प्रथा मजबूर लोगों की लगातार जान ले रही है। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े इस समस्या के भयावह पक्ष को ही उजागर करते हैं। केंद्र सरकार की ओर बीते सप्ताह लोकसभा में बताया गया कि साल 2017 से अब तक देश में सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करते हुए 620 से अधिक सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है। कहना कठिन है कि ये आंकड़े वास्तविक हैं और सभी मौतों को देश में रिपोर्ट किया जा रहा है। ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में ठेकेदार दिहाड़ीदार सफाई कर्मियों की मौत को रफा-दफा करने का प्रयास करते हैं। कुछ चतुर-चालाक लोग परिजनों की मजबूरी को भांपते हुए छोटी-मोटी रकम देकर मामले पर पर्दा डाल देते हैं। ऐसे मामले शायद ही सामने आते हों कि सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद सफाईकर्मियों से सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई करवाने वाले ठेकेदार व स्थानीय निकाय के अधिकारियों को दंडित किया गया हो। क्या किसी लोकतांत्रिक समाज में किसी मजबूर सफाईकर्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं है? निस्संदेह, लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े घोर लापरवाही को ही उजागर करते हैं। विडंबना यह भी है कि जहां करीब 539 परिवारों को पूरा मुआवजा मिला है, वहीं करीब 52 परिवारों को कोई पैसा नहीं मिला। निर्विवाद रूप से किसी मृत सफाई कर्मी के परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कोई दान नहीं है, बल्कि समाज का एक कानूनी और नैतिक दायित्व भी है। जब इस जरूरी सहायता में कोई कमी रह जाती है तो हमारी व्यवस्थागत उदासीनता ही उजागर होती है।

निस्संदेह, यह कष्टकारी स्थिति साल 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर सवालिया निशान लगाती है। वहीं सरकारी दावा है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में किए गए एक सर्वेक्षण में देशभर के किसी भी जिले में हाथ से मैला साफ करने वाले सफाईकर्मी नहीं पाए गए हैं। सवाल ये है कि जब हाथ से सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी देश में नहीं हैं तो सीवर व सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के चपेट में आकर लोगों के मरने की खबरें कैसे आ रही हैं? यह दुखद ही है कि बीते मंगलवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एक प्रमुख अस्पताल में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन सफाई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। सीवर-सेप्टिक टैंक की सफाई में मशीन के उपयोग को बढ़ावा देकर मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के उद्देश्य से ही सरकार द्वारा साल 2023-24 में शुरू की गई राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकीय तंत्र यानी नमस्ते परियोजना को अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने पिछले दिनों स्वीकार किया था कि मशीनीकरण के कारण दक्षता या सफाई व्यवस्था में सुधार के जरूरी संकेतक अभी तक पहचान में नहीं आए हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को पिछले वर्ष वेतन का भुगतान न होने, सुरक्षा उपकरणों की कमी और जाति आधारित भेदभाव को लेकर करीब 842 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जो इस बात का प्रमाण हैं कि समस्या की जड़ें बहुत गहरे रूप में विद्यमान हैं। हालांकि सरकारी दावा है कि सफाई का काम व्यवसाय पर आधारित है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सदियों से हाशिये पर पड़े समुदायों के श्रमिकों के बूते ही सफाई व्यवस्था चलायी जा रही है। निस्संदेह, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का दावा करने वाले समाज को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी नागरिक को अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। श्रम की गरिमा के सवाल का जबाव महज एक नारे से हासिल नहीं किया जा सकता। इसे एक जमीनी हकीकत बनाना होगा।

आखिर नफरत भरे भाषण पर कब सजग और सक्रिय होंगे हमारे हुक्मरान? यक्ष प्रश्न

> “राष्ट्रीय दुर्भाग्य यह कि पहले मुस्लिम शासकों और फिर अंग्रेजी नौकरशाहों ने भारत को जातीय, साम्प्रदायिक, भाषाई-क्षेत्र और लिंग के लिहाज से बांटकर निरंतर कमजोर रखने की जो साजिश रची, उसे अँग्रेजों के लाभुक इशारों पर चलने वाले भारत के आजादी कालीन नेताओं ने बहुमत प्राप्ति का लोकतांत्रिक आधार बना दिया।

नफरत भरे भाषण, किसी भी सभ्य समाज के लिए वैचारिक कैंसर और सामाजिक एड्स के जैसा जानलेवा है, लेकिन दुनियावी तर्ज पर भारतीय लोकतंत्र में भी यह एक बुनियादी राजनीतिक-सामाजिक फैशन बनता प्रतीत हो रहा है। कोढ़ में खाज यह कि 'बहुमत की भूखी' संसद और उसके 'इशारे पर कुछ कुछ फैसले लेने के आदी बन चुके' सुप्रीम कोर्ट ने आजादी के 8वें दशक में भी विषाक्त बयानबाजियों के खिलाफ कोई कड़ा राष्ट्रवादी स्टैंड नहीं लिया ताकि राष्ट्रीय एकता व अखंडता पर अनवरत रूप से जारी साम्राज्यवादी वैचारिक हमले की धार कुंद की जा सके! ऐसा इसलिए कि इनकी भी अपनी विवशता है! चूंकि पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले अधिकार संपन्न लोग ब्रितानी नौकरशाही और राजशाही के इशारे पर बने "भारतीय संविधान" को मानने को अभिशप्त हैं और अपनी व्यवहारिक और मौलिक सोच को ताखे पर रख चुके हैं, इसलिए हर जनतांत्रिक बीमारी लाइलाज हो चुकी है और भारत माता अपनी ही संतानों को निरंतर मुखाग्नि देते देते थककर बूढ़ी हो चली है।

राष्ट्रीय दुर्भाग्य यह कि पहले मुस्लिम शासकों और फिर अंग्रेजी नौकरशाहों ने भारत को जातीय, साम्प्रदायिक, भाषाई-क्षेत्र और लिंग के लिहाज से बांटकर निरंतर कमजोर रखने की जो साजिश रची, उसे अँग्रेजों के लाभुक इशारों पर चलने वाले भारत के आजादी कालीन नेताओं ने बहुमत प्राप्ति का लोकतांत्रिक आधार बना दिया। पहले अखंड भारत को खंडित किया और फिर जाति-धर्म-भाषा की तुष्टीकरण वाले अंग्रेजी कानूनों को हूबहू स्वीकार कर लिया। इससे सामाजिक विखण्ड की प्रक्रिया तेज हुई।

चौंकाने वाली बात तो यह कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए समाजवादियों और राष्ट्रवादियों ने

भी जाति-धर्म-भाषा-क्षेत्र से जुड़े जनभावनाओं को भड़काया और बहुमत पाकर सत्ता हथियाया। लेकिन भारतीयों की नीतिगत एकजुटता की बात मील का पत्थर बनकर रह गई। मतलबी सरकारें बदलती रहीं, भारत माता की आत्मा पर अनगिनत प्रहार जारी हैं, लेकिन हमारी संसद और सुप्रीम कोर्ट प्रबुद्ध और सुसंस्कृत भारत के निर्माण की जगह यूरोपीय और अरबी कलह को भारत पर थोपने की मूर्खता प्रदर्शित कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि आजाद भारत में गरीबी और अपराध को जातीय चश्मे से देखा जाता है, सवर्ण यानी सामान्य जाती विरोधी कानून बनाये जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय का जिक्र करते हुए वर्तमान और भविष्य के सवर्ण विरोधी सामाजिक अन्याय किये जाने के निकृष्ट जनतांत्रिक विचारों पर मोहर लगाता है। खासकर भारतीय संविधान से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद (14, 15, 19, 21, SC/ST Act) की तर्क संभाव्यता, आदि) को भी विस्तार से देखने और इनपर पुनर्विचार की जरूरत है।

अन्यथा, देर सबेर सामान्य जातियों के बीच भी संसद और सुप्रीम कोर्ट का अप्रासंगिक होना तय है। यक्ष प्रश्न है कि आखिर बहुमत की राजनीति के लिए समाज को कब तक झुलसाया जाएगा, क्योंकि जब सहिष्णुता के विचार बदलेंगे तो व्यवस्था बदलते देर नहीं लगेगी! चूंकि प्रभावित पक्षों के लिए भारतीय संविधान का पक्षपाती दृष्टिकोण एक ऐसा 'मटमैला पन्ना' है, जो जाति, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि में वैधानिक विभेद रचता है और उसे सामान्य जातियों के खिलाफ ऐतिहासिक सामाजिक अत्याचार का प्रतिफल करार देता है।

हैरत की बात है कि संविधान जिन लोगों को कानूनी संरक्षण देता है, उनके व्यक्तिगत और सामाजिक उत्पातों पर से भी प्रशासन अपनी आंखें फेर लेता है, यह जमीनी हकीकत है, इसलिए कतिपय सवाल लाजिमी है। बहरहाल, नफरती भाषण सम्बन्धी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड व्यावहारिक है, और संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी संतुलित और सही माना जा सकता है, लेकिन यह बिना विवाद के नहीं है—विशेषकर जातिगत भावनाओं के मामले में।

सवाल है कि नफरत भरे भाषण सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था? तो जवाब होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण को अलग से "जाति आधारित दंडनीय अपराध" घोषित करने की भी याचिका पर विशेष निर्णय देने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने स्पष्ट कहा कि "केवल ब्राह्मण ही क्यों, किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण स्वीकार्य नहीं है", यानी एक विशेष जाति को अलग सा "हेट स्पीच" खंड के तहत नहीं रखा जाना चाहिए। लिहाजा, नेताओं को भी इसी भावना से सख्त कानून बनाना चाहिए।

सवाल है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का यह स्टैंड तर्कसंगत है? तो जवाब होगा कि भारतीय संविधान और फिलहाल लागू कानून (जैसे दंड संहिता की धाराएँ, आईटी एक्ट, निर्वाचन कानून, आदि) में दंगे, भड़काऊ भाषण और जाति आधारित उत्पीड़न के खिलाफ पहले से ही दंड का प्रावधान है; लिहाजा, कोर्ट ने इन्हीं तंत्रों को इस्तेमाल करने पर ज़ोर दिया, बजाय एक नई जाति विशेष श्रेणी बनाने के।

मसलन, न्यायपालिका का यह तर्क रहा कि अगर हेट स्पीच को रोकना है तो वह "समुदाय विशेष" के लिए नहीं, बल्कि सभी समुदायों के लिए एक समान और संवैधानिक ढांचे में होना चाहिए, अन्यथा यह न्याय की बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ जाएगा।

जहां तक आपत्तियाँ और चिंताएँ की बात है तो ब्राह्मण समुदाय के कुछ तबकों का तर्क है कि आज की राजनीतिक और जन चेतना में ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा का एक विशेष और संगठित स्तर बना है, इसलिए उसे अलग से चिह्नित कर रोकने की ज़रूरत है; जबकि कोर्ट का रुख उनके अनुभव को "सामान्य" मानकर छोटा करने जैसा लगता है।

इसके उलट, दूसरे तरफ से यह डर भी जताया जाता है कि अगर एक जाति को विशेष तौर पर "नफरती भाषण" के खिलाफ संरक्षित श्रेणी में रखा जाए, तो इसे राजनीतिक रूप से हथियार बनाया जा सकता है और अन्य पिछड़े या अल्पसंख्यक समुदायों के हेट स्पीच विरोधी बचाव को नरम करने का तर्क भी बन सकता है।

संक्षेप में यदि इस स्टैंड पर मूल्यांकन किया जाए तो सैद्धांतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड प्राकृतिक न्याय, समानता और घुमावदार राजनीतिक जातिगत हथियारबंदी से बचाव के लिए उचित और संयमित लगता है। हालांकि, व्यावहारिक तौर पर यह यह भी दिखाता है कि नफरती भाषण को रोकना "सिर्फ एक जाति की शिकायत" से उठकर इस तरह के घृणा विरोधी कानूनों की दृढ़ और निष्पक्ष अमलीकरण तक जाना चाहिए, चाहे निशाना कौन सा समुदाय हो।

कहना न होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समुदायों (खासकर धार्मिक और जातीय) के खिलाफ हेट स्पीच पर लगातार एक ही मूल सिद्धांत बनाए रखा है: धर्म/जाति के आधार पर घृणा फैलाने वाला भाषण अस्वीकार्य है, लेकिन इसका नियंत्रण "समान रूप से लागू" कानूनों से होना चाहिए, न कि हर समुदाय के लिए अलग अलग राजनीतिक कानूनी व्यवस्था बनाकर।

मुसलमान समुदाय के खिलाफ हेट स्पीचः 21 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और कई राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जो विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा भाषण देते हैं या भड़काऊ रैलियाँ करते हैं। इस आदेश का मुख्य तर्क था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण सम्प्रदायिक तनाव और हिंसा को बढ़ाता है, इसलिए पुलिस और प्रशासन को ऐसे मामलों में तुरंत FIR दर्ज करना और जरूरी धाराएँ लगाना चाहिए, उन्हें "आम सियासी भाषण" की छवि में नहीं ढकना चाहिए।

अलग अलग समुदायों के लिए "समान संरक्षण" का सिद्धांतः एक लंबित और बहु दायर लिटिगेशन में कोर्ट ने जोर दिया है कि हेट स्पीच रोकने के लिए न्यायपालिका "हर छोटी घटना" पर मौन सुनवाई नहीं कर सकती, बल्कि यह राज्य/पुलिस का काम है; लेकिन यह भी कहा है कि धर्म या जाति के आधार पर नफरत फैलाने वाला भाषण भारत की धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। इस मामले में कोर्ट का तर्क रहा है कि अगर हेट स्पीच को रोकना है, तो वह एक एक जाति/धर्म के लिए अलग याचिका देकर नहीं, बल्कि सभी समुदायों के लिए एक ही मानक (IPC, चुनाव कानून, आईटी एक्ट आदि) के तहत किया जाना चाहिए; यानी ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, आदिवासी—सभी एक समान ढांचे में संरक्षित हों।

प्रेरणा

रद्दी के पन्नों से रोशनी तकः एक जिद, जिसने इतिहास रच दिया

सोवियत रूस की ठंडी गलियों में एक ऐसा बालक बड़ा हो रहा था, जिसके जीवन में अभाव ही अभाव थे, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आग जल रही थी, जिसे कोई भी कठिनाई बुझा नहीं सकती थी। यह आग थी ज्ञान की, सीखने की, और खुद को कुछ बनाने की। जब दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी, तब भी उसने हार मानने के बजाय अपने भीतर की रोशनी को और प्रखर करने का निर्णय लिया।

बचपन में ही उसने अपने माता-पिता को खो दिया था। एक छोटे से बच्चे के लिए यह सबसे बड़ा आघात होता है, लेकिन उसके जीवन में दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। अब उसकी जिम्मेदारी थी अपनी बूढ़ी दादी की देखभाल करना। गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया कि वह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दे और काम की तलाश में निकल पड़े। उसके सपनों का स्कूल छूट गया, लेकिन उसके भीतर का विद्यार्थी अभी भी जिंदा था।

वह एक कबाड़ी की दुकान पर काम करने लगा। दिनभर वह पुराने सामान, टूटे-फूटे बर्तन, और बेकार समझी जाने वाली चीजों के बीच घिरा रहता था। लेकिन उसी कबाड़ में उसे कुछ ऐसा मिल गया, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी—पुरानी किताबें। जिन किताबों को लोग रद्दी समझकर बेच देते थे, वही उसके लिए अनमोल खजाना बन गईं।

रात के सन्नाटे में, जब पूरा शहर सो जाता, तब वह बालक उन किताबों के पन्नों में खो जाता। कभी इतिहास की कहानियां पढ़ता, कभी दर्शन की गहराइयों में उतरता, तो कभी साहित्य के भावों में डूब जाता। उसके पास न तो कोई शिक्षक था, न ही कोई मार्गदर्शक, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह हर मुश्किल को पार कर जाती थी। जब भी कोई शब्द या विचार उसकी समझ से बाहर होता, तो वह उसे जानने के लिए बेचैन हो उठता। वह कबाड़ी से पूछता, ग्राहकों से पूछता, और जब तक उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक चैन से नहीं बैठता।

धीरे-धीरे उसकी सोच विकसित होने लगी। वह केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने समाज को समझना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे लोग संघर्ष करते हैं, कैसे गरीबी इंसान को तोड़ देती है, और कैसे कुछ लोग हर हाल में अपने सपनों को जिंदा रखते हैं। इन अनुभवों ने उसके भीतर एक लेखक को जन्म दिया।

एक दिन उसने साहस जुटाकर अपने विचारों को कागज पर उतारना शुरू किया। शुरुआत में यह आसान नहीं था। शब्दों को सही तरीके से पिरोना, भावनाओं को अभिव्यक्त करना—यह सब उसने खुद ही सीखा। उसने छोटे-छोटे लेख लिखे और उन्हें स्थानीय अखबारों में भेजना शुरू किया। कई बार उसके लेख वापस आ जाते, कई बार कोई जवाब ही नहीं मिलता। लेकिन उसने हार नहीं मानी।

उसकी लगन और निरंतर प्रयास ने आखिरकार रंग दिखाया। एक दिन उसका लेख प्रकाशित हुआ। यह उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उस एक सफलता ने उसके भीतर आत्मविश्वास की नई ऊर्जा भर दी। अब वह और अधिक उत्साह के साथ लिखने लगा। उसके लेखों में सच्चाई थी, अनुभवों की गहराई थी, और समाज की वास्तविक तस्वीर थी।

समय के साथ उसके लेखन ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। संपादकों ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे प्रोत्साहित किया। यह प्रोत्साहन उसके लिए बहुत मायने रखता था। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए लिख रहा था। उसकी लेखनी उन लोगों की आवाज बन गई, जो खुद अपनी बात नहीं कह पाते थे। वह बालक, जो कभी कबाड़ी की दुकान पर काम करता था, आगे चलकर मैक्सिम गोर्की के नाम से विश्वभर में प्रसिद्ध हुआ। उसकी रचनाओं ने साहित्य की दुनिया में एक नई दिशा दी। उसने अपने जीवन के संघर्षों को शब्दों में ढालकर लोगों के सामने रखा और उन्हें यह एहसास दिलाया कि हर इंसान के भीतर एक असीम शक्ति छिपी होती है। उसकी प्रसिद्ध कृति 'मां' ने उसे अमर बना दिया। इस उपन्यास में उसने न केवल एक व्यक्ति की कहानी कही, बल्कि पूरे समाज की पीड़ा, संघर्ष और परिवर्तन की आकांक्षा को जीवंत कर दिया। उसकी लेखनी में जो सच्चाई और संवेदना थी, वह सीधे पाठकों के दिल तक पहुंचती थी।

लेकिन उसकी सफलता की कहानी केवल उसके साहित्य तक सीमित नहीं है। यह कहानी उस जिद की है, जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती। यह कहानी उस विश्वास की है, जो खुद पर और अपने सपनों पर अडिग रहता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे भीतर कुछ करने की चाह है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती।

आज जब हम अपने जीवन में छोटी-छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं, तब इस बालक की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि असली संघर्ष क्या होता है। उसने बिना किसी संसाधन के, बिना किसी सहारे के, केवल अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह मुकाम हासिल किया, जिसका सपना भी बहुत लोग नहीं देख पाते।

यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। असली शिक्षा वह है, जो हमें जीवन से मिलती है—हमारे अनुभवों से, हमारे संघर्षों से, और हमारी गलतियों से। अगर हम सीखने की इच्छा को जिंदा रखें, तो हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखा सकती है।

अंततः, यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है—सपनों को पूरा करने के लिए परिस्थितियों का सही होना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारा दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं और मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो सफलता देर-सवेर जरूर मिलती है।

रद्दी के पन्नों से शुरू हुई यह यात्रा हमें यह बताती है कि असली रोशनी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की, उसे जगाने की, और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाने की। यही वह रास्ता है, जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है और हमें हमारी सच्ची पहचान दिलाता है।

जिम्मेदारों का गैरजिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार

विरोध के नाम विरोध या सत्ता के लालच में राष्ट्र-हित के नकार का कोई उदाहरण मिल सकता है तो वह हमारे देश में ही मिल सकता है। आज जब समूची दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है और अमेरिका व ईरान युद्ध के दुष्परिणामों से दुनिया के लगभग सभी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित हो रहे हैं उस दौर में देश में अराजकता का माहौल बनाये जाने के प्रयासों को किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समझ में नहीं आता कि देश में भय और अराजकता का माहौल बनाने से क्या हासिल हो सकेगा। आज दुनिया के देशों की एक दूसरे पर निर्भरता अधिक बढ़ी है। ऐसे में दुनिया के किसी भी कौने में कोई अप्रिय घटनाएं घटित होती है तो उसका प्रभाव कमोबेस दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ता है। सबको मालूम है कि कच्चे तेल और एलपीजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कोई आज की बात नहीं है। यह कोई हमारे देश की ही समस्या हो ऐसा भी नहीं है। बल्कि हार्मुज जलडमरुमध्य से जल यातायात को बाधित होने से यह समस्या और अधिक बढ़ी है। यह भी मालूम है कि ताजिंदगी के लिए किसी भी वस्तु की किसी भी देश द्वारा संग्रहण नहीं किया जा सकता। यदि एलपीजी के हालिया संकट की ही बात की जाये तो होना तो यह चाहिए था कि ऐसे संकट के दौर में पक्ष-विपक्ष एक साथ खड़ा होता और ऐसे हालातों में आमजनता को पेनिक करने के स्थान पर हालात से निपटने में सहभागी बनते तो एक जिम्मेदार पक्ष-विपक्ष या आम नागरिक की बात होती। पर हमने तो हालात ऐसे बना दिए जैसे एलपीजी का अकाल आ गया हो और चारों तरफ आंदोलन-प्रदर्शन के हालात बनाकर जमाखोरों को प्रोत्साहित करने और आमजन में भय का वातावरण बना दिया। जिसके घर में एलपीजी का सिलेण्डर था भी वह भी एक और सिलेंडर लाने की दौड़ में लग गया और इससे हालात बनने के स्थान पर बिगड़ने वाले होने लगे। होना तो यह चाहिए था कि विपक्षी भी सरकार के साथ खड़े होकर एक और आम जनता को हालात से निपटने के लिए प्रेरित करते वहीं दूसरी और ऐसे समन्वित प्रयास किये जाते जिससे विदेशों से एलपीजी लाने में आ रही दिक्कतों का हल खोजा जा सकता। गैरजिम्मेदारान हरकत तो इसी से समझा जा सकता है कि सरकार के प्रयासों से जब एलपीजी के दो जहाज होर्मुज जलडमरुमध्य से आने लगे तो यहां तक कहा जाने लगा कि इन जहाजों पर झण्डा अवश्य भारत का है पर इनमें उपलब्ध एलपीजी तो किसी अन्य देश के लिए है। धरने प्रदर्शन और हालात को बदतर बनाने के प्रयास किसी भी हालत में देशहित या देशवासियों के हित में नहीं कहे जा सकते। भले ही यह समझते हो कि हम देशवासियों के हित में सरकार को घेर रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो यह सरकार को घेरना नहीं अपितु देश के प्रति अपने दायित्वों से हटने और पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना गतिविधि ही कही जानी चाहिए।

यह वहीं भारत देश है जब लाल बहादुर शास्त्री के समय अन्न संकट आया तो एक आह्वान पर छोटे बड़े सभी ने एक दिन सोमवार का व्रत रखना आरंभ कर दिया। पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग आज भी उस आह्वान के चलते आज भी सोमवार का व्रत करते हुए मिल जाएंगे। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1971 के बांग्लादेश के युद्ध के समय समूचा देश इन्दिरा गांधी के साथ एक स्वर में स्वर मिला रहा था। आज पता नहीं ऐसे हालात कैसे होने लगे हैं कि ऑपरेशन सिन्दुर, सर्जिकल स्ट्राइक या अन्य सैन्य गतिविधियों पर भी प्रश्न उठाये जाने लगे हैं। संभवतः दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की बात नहीं होती होगी।

जहां तक एलपीजी की बात है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक समय था जब एलपीजी कनेक्शन के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता था। सामान्य परिस्थितियों में भी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों से भी दो चार होना पड़ता था। धरातल पर देखेंगे तो हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आज 31.3 मिलियन टन एलपीजी गैस की खपत है। देश में 31 करोड़ सक्रिय एलपीजी धरेलू कनेक्शन है। समूचे देश की बात की जाए तो प्रतिदिन ओसतन 50 से 60 लाख एलपीजी सिलेंडर की आवश्यकता होती है। ऐसे में मांग और आपूर्ति बनाये रखना अपने आप में दुष्कर है पर हालिया संकट को अलग कर दिया जाए तो पिछले कुछ सालों से एलपीजी या पेट्रोल आदि को लेकर देश में किसी तरह का संकट देखने को नहीं मिला। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार्मुज जलडमरुमध्य से दो जहाज भारतीय तट पर पहुंच चुके हैं। सरकार द्वारा भारतीय जहाजों को निर्बाध रुप से रास्ता दिलाने के प्रयास जारी है। ऐसे हालातों के बावजूद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होना बड़ी बात है। इस संकट के दौर में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व हो जाता है। हालात हमारे सामने हैं, सरकार के प्रयास भी हमारे सामने हैं, ऐसे में जमाखोरी और कालाबाजारी को निरुत्साहित करना हम सबका दायित्व होना चाहिए। आवश्यकता नहीं होने पर भी जबरदस्ती सिलेण्डर का स्टॉक करने से बचना चाहिए। वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने में सहभागी बनना चाहिए। जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक जबरदस्ती पेनिक होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे तत्व जो हालात को व्यवस्थित करने के स्थान पर बिगाडने व पेनिक करने व जमाखोरी और कालाबाजारी को प्रोत्साहित कर रहे हो उन्हें बेनकाब करने के लिए आगे आना होगा। यदि ऐसे दौर में हमें एक जुट होना होगा और राष्ट्रहित को ही सर्वोपरी मानना होगा।

अभियान

चैत्र नवरात्र में मां वैष्णो देवी के दरबार की अलौकिक पुकार

चैत्र नवरात्र का समय आते ही वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा घुल जाती है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति का महासागर है, जिसमें हर श्रद्धालु अपने मन की इच्छाओं, दुखों और आशाओं को लेकर मां के दरबार में पहुंचता है। वर्ष 2026 का यह चैत्र नवरात्र भी कुछ ऐसा ही दृश्य लेकर आया, जब देशभर से लाखों भक्त माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर उमड़ पड़े।

त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों पर विराजमान मां वैष्णो देवी का दरबार सदियों से भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र रहा है। जैसे ही नवरात्र का शुभारंभ हुआ, 'जय माता दी' के गगनभेदी उद्घोषों से पूरा कटरा गूंज उठा। हर चेहरे पर उत्साह, हर आंखों में विश्वास और हर कदम में एक अनोखी शक्ति दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मां ने अपने भक्तों को बुलावा भेजा हो।

19 मार्च से शुरू हुए इस पावन पर्व के तीसरे दिन ही भक्तों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि प्रशासन को यात्रा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। शनिवार शाम 4 बजे तक लगभग 39,000 श्रद्धालु गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके थे, जबकि हजारों श्रद्धालु अभी भी मार्ग में थे। यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं थी, बल्कि उस अपार श्रद्धा का प्रतीक थी, जो हर वर्ष नवरात्र में अपने चरम पर पहुंच जाती है।

कटरा से भवन तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। कोई पैदल चल रहा था, कोई घोड़े पर सवार था, तो कोई पालकी में बैठकर मां के दरबार की ओर बढ़ रहा था। छोटे-छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं—हर वर्ग के लोग इस यात्रा में शामिल थे। थकान के बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उनके दिल में केवल एक ही लक्ष्य था—मां के दर्शन।

इसी भीड़ के बीच एक वृद्ध दंपति भी था, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया था। उनकी उम्र सत्तर वर्ष से अधिक थी, लेकिन उनकी आस्था इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पैदल ही यात्रा करने का निर्णय लिया। जब उनसे पूछा गया कि इतनी उम्र में यह कठिन यात्रा क्यों, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा—"जब मां बुलाती हैं, तो

शरीर की नहीं, मन की सुननी पड़ती है।" उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू थकान के नहीं, बल्कि भक्ति के थे।

भीड़ इतनी अधिक हो गई कि प्रशासन को यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। यह निर्णय भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। पुलिस वाहनों के माध्यम से घोषणा की गई कि यात्रा को अस्थायी रूप से रोका जा रहा है। हालांकि, इस निर्णय के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। वे शांतिपूर्वक वहीं बैठकर मां का नाम जपते रहे।

रविवार सुबह 4 बजे से यात्रा को पुनः शुरू करने की घोषणा की गई। इस बीच, हजारों श्रद्धालु कटरा में ही रुके रहे और मां के भजनों में लीन हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा शहर एक विशाल मंदिर में परिवर्तित हो गया हो, जहां हर ओर केवल भक्ति की ध्वनि सुनाई दे रही थी।

इस बार नवरात्र के अवसर पर एक विशेष आध्यात्मिक आयोजन भी किया गया—पवित्र शत चंडी महायज्ञ। इस यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में बड़े ही विधि-विधान के साथ किया गया। वैदिक मंत्रों की गूंज और हवन की सुगंध ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण मानवता के लिए शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की जाती है।

श्राइन बोर्ड ने इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए थे। सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था की गई थी, जिसमें पुलिस, अर्धसैनिक बल और स्वयंसेवक शामिल थे। इसके अलावा, चिकित्सा सुविधाएं, भोजन की व्यवस्था और विश्राम स्थल भी बनाए गए थे, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो।

इस यात्रा के दौरान एक और दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई। एक छोटा बच्चा, जो पहली बार अपने माता-पिता के साथ यात्रा पर आया था, लगातार 'जय माता दी' का जाप कर रहा था। जब उसकी मां ने उससे पूछा कि वह इतना उत्साहित क्यों है, तो उसने मासूमियत से कहा—"मां, मैं असली वाली मां से मिलने जा रहा हूं।" उसके इस उत्तर ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिल को छू लिया।

चैत्र नवरात्र केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मन की शांति का भी समय है। यह वह अवसर है, जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा इसी आत्मिक यात्रा का प्रतीक है।

इस यात्रा में आने वाली कठिनाइयां—लंबा रास्ता, भीड़, थकान—ये सब केवल बाहरी बाधाएं हैं। असली यात्रा तो भीतर की होती है, जहां हम अपने अहंकार, भय और संदेह को त्यागकर केवल विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि जो एक बार इस यात्रा पर जाता है, वह बार-बार वहां जाने की इच्छा रखता है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि 2026 का यह चैत्र नवरात्र मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। भीड़, रोक और व्यवस्थाओं के बावजूद, श्रद्धालुओं की आस्था अडिग रही। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं है।

जब मां का बुलावा आता है, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। यही विश्वास, यही आस्था और यही भक्ति इस यात्रा को इतना विशेष बनाती है। और शायद यही कारण है कि हर वर्ष लाखों लोग इस कठिन यात्रा को केवल एक दर्शन के लिए तय करते हैं—क्योंकि वहां केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मां का साक्षात आशीर्वाद मिलता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

जंग का असर रसोई तक: एलपीजी संकट पर केंद्र का बड़ा फैसला, 23 मार्च से राज्यों को 20% अतिरिक्त गैस

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारतीय घरों की रसोई तक पहुंच गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी अस्थिरता ने ऊर्जा आपूर्ति की वैश्विक श्रृंखला को झकझोर दिया है, जिसका असर भारत जैसे बड़े आयातक देश पर साफ दिखाई दे रहा है। इसी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 23 मार्च 2026 से राज्यों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त एलपीजी आपूर्ति देने का निर्णय लिया है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और जरूरी सेवाएं बाधित न हों। ह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि समुद्री मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है, जिससे भारत की गैस आपूर्ति पर सीधा असर पड़ा है। भारत अपनी कुल गैस जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और उसमें से अधिकांश आपूर्ति इसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से होती है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 23 मार्च से राज्यों को मिलने वाली एलपीजी सप्लाई को बढ़ाकर प्री-क्राइसिस स्तर के करीब 50 प्रतिशत तक लाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपूर्ति युद्ध के बाद अचानक घट गई थी, उसे अब धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, पूरी तरह से हालात सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। इस पूरे संकट के बीच सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है—जरूरी सेवाओं और खाद्य क्षेत्र को प्रभावित होने से बचाना। यही कारण है कि अतिरिक्त गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा सबसे पहले रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों, औद्योगिक कैंटीन और डेयरी क्षेत्र को दिया जाएगा। हाल के दिनों में कई शहरों, खासकर बेंगलुरु से सामने आई तस्वीरों में देखा गया कि गैस की कमी के कारण होटल और ढाबे पारंपरिक लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर हो गए थे। इन हालात ने सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों से जुड़ा है। सरकार ने 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसे लोग भी गैस का उपयोग कर सकें जिनके पास नियमित घरेलू कनेक्शन नहीं है। यह कदम विशेष रूप से उन लाखों कामगारों के लिए राहत लेकर आएगा, जो किराए के मकानों या अस्थायी निवास में रहते हैं और इस तरह के संकट में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे अहम मार्ग है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल और गैस की आपूर्ति होती है। भारत के लिए यह मार्ग और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की 60 प्रतिशत से अधिक गैस जरूरत आयात पर निर्भर है और उसमें से लगभग 80-85 प्रतिशत आपूर्ति इसी रास्ते से आती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का सैन्य तनाव सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है।

सरकार ने इस संकट के दौरान एक और अहम पहलू पर सख्ती दिखाई है—कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक। केंद्रीय स्तर पर राज्यों के मुख्य सचिवों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि गैस की आपूर्ति और वितरण पर लगातार नजर रखी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि एलपीजी सही उपभोक्ताओं तक पहुंचे और इसे ऊंचे दामों पर ब्लैक मार्केट में न बेचा जाए।

इस संबंध में अधिकारियों ने यह भी कहा है कि यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्तियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि संकट के समय पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। यह पूरा घटनाक्रम यह भी दिखाता है कि वैश्विक राजनीति और युद्ध जैसे बड़े मुद्दे किस तरह आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। रसोई गैस जैसी बुनियादी जरूरत पर असर पड़ना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ऊर्जा सुरक्षा अब केवल आर्थिक मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा विषय बन चुका है।

फिलहाल सरकार के इस फैसले से राहत की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक पश्चिम एशिया में तनाव कम नहीं होता, तब तक आपूर्ति पूरी तरह सामान्य होना मुश्किल है। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार को और भी कदम उठाने पड़ सकते हैं, ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों को संतुलित रखा जा सके। कुल मिलाकर, एलपीजी संकट ने एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि भारत को दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति पर और तेजी से काम करने की जरूरत है, ताकि वैश्विक अस्थिरता का असर देश के आम नागरिकों तक कम से कम पहुंचे।

विदेशी रिपोर्ट पर देश में उबाल: 275 पूर्व दिग्गजों का तीखा प्रतिवाद, आरएसएस पर टिप्पणी को बताया पूर्वाग्रहपूर्ण

(जीएनएस)। नई दिल्ली। एक विदेशी रिपोर्ट को लेकर भारत में बौद्धिक और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश से जुड़े अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट ने देश के कई पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर दिया है। करीब 275 पूर्व दिग्गजों—जिनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, नौकरशाह और सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं—ने इस रिपोर्ट का कड़ा विरोध करते हुए इसे तथ्यहीन और पक्षपातपूर्ण करार दिया है। इन दिग्गजों ने एक संयुक्त बयान जारी कर अमेरिकी आयोग की सिफारिशों को "बौद्धिक दिवालियापन" का उदाहरण बताया। उनका कहना है कि किसी भी सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन के बारे में इस तरह की कठोर सिफारिशें बिना ठोस प्रमाणों के करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह विश्लेषण की गंभीरता पर भी सवाल खड़े करता है। बयान में कहा गया कि आरएसएस दशकों से देश में सामाजिक कार्यों, सेवा गतिविधियों और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रहा है, ऐसे में उसे केवल एकतरफा दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना गलत है।

पूर्व अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह की रिपोर्टें अक्सर पूर्वाग्रहों पर आधारित होती हैं और इनमें जमीनी हकीकत की अनदेखी की जाती है। उनका मानना है कि किसी भी संगठन का मूल्यांकन व्यापक तथ्यों और संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए, न कि सीमित सूचनाओं या राजनीतिक प्रभावों के तहत।

इस पूरे विवाद का एक अहम पहलू यह भी है कि दिग्गजों ने अमेरिकी प्रशासन से रिपोर्ट तैयार करने वालों की पृष्ठभूमि की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि रिपोर्ट तैयार करने में किन लोगों की भूमिका रही और क्या उनके पीछे कोई विशेष एजेंडा या हित जुड़े हुए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कुछ भारत-विरोधी तत्व इस तरह की रिपोर्टों के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी रिपोर्टों को गंभीरता से लेने से पहले उनके स्रोत, प्रक्रिया और निष्कर्षों की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो इससे दोनों देशों के आपसी संबंधों पर भी असर पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर किसी भी देश या संगठन को लेकर दी जाने वाली टिप्पणियां केवल कूटनीतिक नहीं होतीं, बल्कि उनका असर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी पड़ता है। ऐसे में भारत के पूर्व अधिकारियों का इस तरह एकजुट होकर प्रतिक्रिया देना यह दर्शाता है कि इस मुद्दे को देश के भीतर गंभीरता से लिया जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि वैश्विक संस्थाओं और आयोगों द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्टों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को कैसे सुनिश्चित किया जाए। क्या ये रिपोर्टें वास्तव में निष्पक्ष विश्लेषण पर आधारित होती हैं या फिर इनमें कहीं न कहीं राजनीतिक और वैचारिक झुकाव भी शामिल होता है?

वहीं, यह भी स्पष्ट है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी छवि और संस्थाओं को लेकर अधिक सजग हो गया है। किसी भी बाहरी टिप्पणी या आलोचना का जवाब अब केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भी दिया जा रहा है।

कुल मिलाकर, यह विवाद केवल एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक विमर्श, राष्ट्रीय पहचान और कूटनीतिक संतुलन से जुड़ा एक व्यापक मुद्दा बन चुका है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पर अमेरिका की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या इस तरह की रिपोर्टों को लेकर कोई नई प्रक्रिया या पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।

खामोश नौरोज : जब खुशियों का त्योहार मातम में बदल गया

(जीएनएस)। तेहरान। हर साल वसंत की पहली किरण के साथ नौरोज ईरान की गलियों में नई उम्मीद, नई शुरुआत और खुशियों की सौगात लेकर आता था। घरों में सजता 'हफ्त-सीन', बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की दुआएं और परिवारों का मिलन—यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते थे, जो जीवन की निरंतरता और आशा का प्रतीक होता था। लेकिन वर्ष 2026 का यह पर्व ईरान के लिए एक ऐसे घाव की तरह आया है, जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। इस बार न तो घरों में वही रौनक है, न ही बाजारों में चहल-पहल। जहां कभी रंग-बिरंगी सजावट और खुशियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा है। माताएं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने के बजाय कब्रिस्तानों की ओर जा रही हैं, हाथों में फूल लिए, आंखों में आंसू लिए। यह दृश्य किसी एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश के दर्द की कहानी बन चुका है।

इस त्रासदी की जड़ में वह भयावह घटना है, जिसने पूरे ईरान को झकझोर कर रख दिया। मीनाब के एक प्राथमिक विद्यालय पर हुआ विनाशकारी हमला अब केवल एक घटना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शोक का प्रतीक बन गया है। बताया जाता है कि इस हमले में 168 मासूम बच्चों की जान चली गई—वे बच्चे, जिनके सपने अभी उड़ान भरना भी नहीं सीख पाए थे।

ये वही बच्चे थे, जो नौरोज की तैयारियों में अपने घरों को सजाने में व्यस्त थे, जो अपने माता-पिता से नए कपड़ों और मिठाइयों की जिद कर रहे थे। लेकिन अब उनके घरों में सन्नाटा है, और उनकी यादें ही परिवारों का सहारा बन गई हैं।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे यूनिसेफ और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस घटना को बच्चों पर हुआ गंभीर हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ एक गहरा आघात करार दिया है।

इस बार नौरोज के अवसर पर ईरान के कब्रिस्तानों का दृश्य बेहद मार्मिक है। जहां कभी लोग अपने प्रियजनों के साथ नए साल का स्वागत करते थे, वहीं अब वही लोग अपने बच्चों की कब्रों के पास बैठकर उन्हें याद कर रहे हैं। कई माताओं ने अपने बच्चों की कब्रों पर ही 'हफ्त-सीन' सजाया है—वही पारंपरिक प्रतीक, जो जीवन, पुनर्जन्म और आशा का संदेश देते हैं। लेकिन इस बार यह सजावट खुशी के लिए नहीं, बल्कि एक अधूरे जीवन की याद में की गई है। कब्रों पर रखे छोटे-छोटे जूते, खिलौने और मिठाइयां उस मासूमियत की गवाही दे रहे हैं, जो इस दुनिया से अचानक छिन गई। हर कब्र एक कहानी कह रही है—अधूरे सपनों की, टूटी उम्मीदों की और उस दर्द की, जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है।

ईरान के आम नागरिकों के लिए यह समय केवल शोक का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी है। लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर कब तक निर्दोषों की जान इस तरह की हिंसा की भेंट चढ़ती रहेगी। वसंत, जो हमेशा नई शुरुआत का प्रतीक होता था, इस बार आंसुओं में डूबा हुआ है। शहरों की सड़कों पर अब उत्सव का शोर नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी है। बच्चों की खिलखिलाहट की जगह अब मातम की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हर परिवार अपने-अपने तरीके से इस दुख को सहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह दर्द इतना गहरा है कि उससे उबरना आसान नहीं होगा। यह नौरोज केवल एक त्योहार नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी याद बन गया है, जो हर ईरानी के दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। यह याद दिलाता रहेगा कि खुशियों का यह पर्व भी कभी-कभी इंसानी त्रासदी के आगे कितना असहाय हो जाता है।

समय के साथ घाव शायद भर जाएं, लेकिन इस बार का नौरोज इतिहास में एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा, जहां वसंत की जगह शोक ने ले ली, और जहां नई शुरुआत की उम्मीदों को दर्द ने ढक लिया।

सूरत में उमड़ा राजस्थानी संस्कृति का रंग: 24वें गणगौर उत्सव की शोभायात्रा ने बांधा समां

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात की धरती पर जब राजस्थानी संस्कृति अपने पूरे वैभव के साथ जीवंत होती है, तो वह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि परंपरा, आस्था और उत्सव का अद्भुत संगम बन जाती है। सूरत के परवत पाटिया क्षेत्र में आयोजित 24वें गणगौर उत्सव ने कुछ ऐसा ही नजारा पेश किया, जहां भक्ति, उल्लास और सांस्कृतिक रंगों की छटा ने पूरे शहर को सराबोर कर दिया। शनिवार, 21 मार्च 2026 को आयोजित इस भव्य शोभायात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु, महिला-पुरुष और समाजबंधु शामिल हुए। हर वर्ष की तरह इस बार भी गणगौर उत्सव को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया, लेकिन इस बार की भव्यता और सहभागिता ने इसे और भी विशेष बना दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2:15 बजे जैन नगर प्रांगण में गणगौर माता के दर्शन और विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं और युवतियां, सिर पर कलश और हाथों में पूजा की थाली लिए, भक्ति में लीन नजर आईं। लोकगीतों की मधुर धुन और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।

सायं 4:15 बजे जैन नगर से शोभायात्रा

का भव्य प्रस्थान हुआ। जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, रास्तों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शोभायात्रा का मार्ग जैन नगर से शुरू होकर रवि आशीष, सालासर नगर, वृंदावन, गोकुलधाम, नीलकंठ हाइट्स, श्याम वाटिका, पूजन प्लाजा (कैलाश नगर), वाटिका टाउनशिप, पिंक सिटी, शिव मंदिर, मॉडल टाउनशिप, गुरुकृपा और गजानंद क्षेत्र से होते हुए डुंभाल स्थित बालाजी मंदिर तक रहा।

पूरे मार्ग में विभिन्न सोसायटियों और स्थानीय निवासियों द्वारा शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कहीं पुष्पवर्षा की गई, तो कहीं जलपान और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं ने 'गणगौर माता की जय' के जयकारों के साथ पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस आयोजन में पूरे उत्साह के साथ शामिल नजर आया।

गणगौर उत्सव विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां वे माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना कर सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की मंगलकामना करती हैं। सूरत जैसे महानगर में भी इस परंपरा को जीवंत बनाए रखना समाज की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का प्रतीक है।

इस आयोजन में सांस्कृतिक झांकियों और पारंपरिक नृत्यों ने भी आकर्षण का केंद्र बनाया। राजस्थानी लोकगीतों और नृत्य प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और हर किसी को अपने सांस्कृतिक मूल से जोड़ने का प्रयास किया।

आयोजन से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं में जिग्नेश पाटिल, नंदकिशोर शर्मा, दिनेश चौधरी, रमेश पारीक, अखिलेश पारीक, भंवर बाबल, विजय चोमाल, नागर भाई पटेल, कैलाश लाहोटी, संजय मोहता, महेश शर्मा और सज्जन महर्षि सहित कई समाजसेवी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इन सभी के सामूहिक प्रयासों से यह आयोजन सफल और यादगार बन पाया।

कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस बार आयोजन में अपेक्षा से अधिक लोगों की भागीदारी देखने को मिली, जो इस बात का संकेत है कि परंपराओं के प्रति लोगों का जुड़ाव आज भी उतना ही मजबूत है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में इस आयोजन को और अधिक भव्य बनाने का प्रयास किया जाएगा।

पूरे मार्ग में सुरक्षा और व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया था, जिससे शोभायात्रा सुचारु रूप से संपन्न हो सकी। प्रशासन और स्वयंसेवकों ने मिलकर भीड़ को नियंत्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि किसी को कोई असुविधा न हो।

इस भव्य आयोजन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सूरत जैसे बहुसांस्कृतिक शहर में भी विभिन्न परंपराएं पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जीवित हैं। गणगौर उत्सव की यह शोभायात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता और सामूहिक आस्था का जीवंत उदाहरण बनकर उभरी।

23 साल बाद इंसाफ: देहरादून PWD घोटाले में 8 दोषियों को सजा, भ्रष्टाचार पर कड़ा संदेश

(जीएनएस)। देहरादून। लंबे इंतजार के बाद न्याय की घड़ी आखिरकार आ ही गई। देहरादून में करीब दो दशकों से अधिक समय से चल रहे लोक निर्माण विभाग (PWD) घोटाले में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 8 सरकारी कर्मचारियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को 2-2 साल की सख्त कैद और कुल 2.85 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला न केवल एक पुराने मामले का पटाक्षेप है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि देर से ही सही, न्याय मिलता जरूर है। यह पूरा मामला साल 2001-2002 का है, जब हरिद्वार के लोक निर्माण विभाग में तैनात कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे थे। आरोपों के अनुसार, इन लोगों ने मिलकर फर्जी तरीके से विभागीय चेक जारी किए और बिना अनुमति के करीब 55 लाख रुपये सरकारी खजाने से निकाल लिए। उस समय यह घोटाला क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना था और इसके सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय अन्वेषण

ब्यूरो को सौंपी गई। सीबीआई ने 9 अगस्त 2003 को इस मामले की जांच शुरू की थी। जांच का आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर दिया गया था, जो इस बात का संकेत था कि मामला कितना गंभीर और संवेदनशील था। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यह पाया गया कि विभाग के अंदर ही मिलीभगत के जरिए सरकारी धन को योजनाबद्ध तरीके से निकाला गया। फर्जी दस्तावेजों और बिना उचित अनुमति के जारी किए गए चेक के माध्यम से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इस पूरे घोटाले में विभागीय कर्मचारियों के साथ-साथ ट्रेजरी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई। सीबीआई ने 2005 में इस मामले में कुल 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें 12 सरकारी कर्मचारी और 8 निजी व्यक्ति शामिल थे। लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान कई मोड़ आए। सुनवाई के दौरान 4 आरोपियों की मृत्यु हो गई, जिसके चलते उनके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया। वहीं 7 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, जिन्हें पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी।

ताजा फैसले में अदालत ने शेष 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई। हालांकि एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत का यह फैसला इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायिक प्रक्रिया भले ही लंबी हो, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय निष्पक्ष रूप से ही दिया जाता है।

इस मामले ने एक बार फिर सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को उजागर किया है। 55 लाख रुपये की यह राशि भले ही आज के संदर्भ में बहुत बड़ी न लगे, लेकिन उस समय यह एक महत्वपूर्ण रकम थी, जिसका दुरुपयोग जनता के विश्वास के साथ धोखा था।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में सजा का मिलना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इस तरह की हरकत करने से पहले दस बार सोचे। यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और देर-सवेर दोषियों तक जरूर पहुंचते हैं।

इस पूरे मामले की एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक तेज और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। 23 साल का लंबा इंतजार यह दर्शाता है कि हमारे सिस्टम में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हालांकि अंततः न्याय मिलना पीड़ित पक्ष के लिए एक राहत जरूर है।

फिलहाल, इस फैसले के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ेगी और वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा। साथ ही यह भी संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में चाहे जितना समय लग जाए, दोषियों को उनके किए की सजा जरूर मिलती है।

दौसा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा तथा सुरक्षित एवं आधुनिक रेल संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा दौसा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण तथा जयपुर मंडल के जयपुर–बांदीकुई खंड पर इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग कार्य के चलते दिनांक 04 अप्रैल, 2026 को ट्रेन संख्या 12915 साबरमती-दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस एवं 20964 वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

v ट्रेन संख्या 12915 साबरमती–दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग फुलेरा–जयपुर–अलवर–रेवाड़ी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा–रींगस–रेवाड़ी होकर चलेगी तथा मार्ग में यह ट्रेन रींगस, नीम का थाना एवं नारनौल स्टेशनों पर रुकेगी।

v ट्रेन संख्या 20964 वाराणसी–साबरमती एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग रेवाड़ी–अलवर–जयपुर–फुलेरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा होकर चलेगी तथा मार्ग में यह ट्रेन नारनौल, नीम का थाना एवं रींगस स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय एवं कोच संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मेहसाणा में ROB निर्माण हेतु ग्राउंड सर्वे, कनेक्टिविटी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल एवं मेहसाणा महानगरपालिका द्वारा यात्रियों एवं आम नागरिकों की सुविधा तथा सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेहसाणा शहर में प्रस्तावित रोड ओवर ब्रिज (ROB) के निर्माण हेतु आज विस्तृत ग्राउंड सर्वेक्षण किया गया।

यह प्रस्तावित ROB ओल्ड विसनगर रोड को ओल्ड पाटन रोड से जोड़ेगा तथा अहमदाबाद–पालनपुर हाईवे से पुलिस मुख्यालय तक सीधी एवं बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा। प्रस्तावित

संरचना की कुल लंबाई (ब्रिज एवं अप्रोच सहित) लगभग 1050 मीटर होगी, जिसमें 76 मीटर का गर्डर स्पैन तथा 12 मीटर चौड़ाई का प्रावधान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मेहसाणा क्षेत्र में रेलवे लाइन के मीटर गेज से ब्रॉड गेज में रूपांतरण के उपरांत शहर दो भागों में विभाजित हो गया था, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के रूप में ROB निर्माण की योजना तैयार की गई है। आज आयोजित सर्वेक्षण के दौरान मेहसाणा लोकसभा सांसद श्री हरी भाई पटेल, राज्यसभा सांसद श्री मयंक भाई नायक, अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश, जिला विकास अधिकारी श्रीमती डॉ. हसरत जैस्मीन सहित वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक श्री अन्नू त्यागी तथा रेलवे एवं प्रशासन के अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया तथा परियोजना के तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

सभी संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से संभावित ROB स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस परियोजना के पूर्ण होने पर शहर के दोनों भागों के बीच सीधी, सुरक्षित एवं निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे यातायात में सुगमता, समय की बचत तथा स्थानीय व्यापार एवं जनजीवन को नई गति मिलेगी। पश्चिम रेलवे द्वारा इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यवाही को शीघ्र गति से आगे बढ़ाया जाएगा।

रील के बहाने जासूसी का जाल: गाजियाबाद से खुला खतरनाक नेटवर्क, गरीब युवाओं को बनाया मोहरा

(जीएनएस)। गाजियाबाद। सोशल मीडिया की चमक-दमक और आसान पैसे का लालच किस तरह युवाओं को अपराध के रास्ते पर धकेल सकता है, इसका चौंकाने वाला उदाहरण गाजियाबाद से सामने आया है। यहां जासूसी के एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसने "रील बनाने" जैसी सामान्य गतिविधि की आड़ में देश की संवेदनशील सूचनाएं इकट्ठा कर विदेश भेजने का खतरनाक खेल रचा हुआ था।

जांच एजेंसियों के अनुसार इस पूरे नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड सुहैल नाम का युवक है, जो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के सीधे संपर्क में था। यह नेटवर्क बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था, जिसमें स्थानीय स्तर पर ऐसे युवाओं को निशाना बनाया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और जल्दी पैसे कमाने के लालच में आसानी से फंस सकते थे।

सूत्रों के मुताबिक सुहैल ने खासतौर पर कौशांबी इलाके के उन लड़कों को टारगेट किया, जो कम पढ़े-लिखे थे और दिहाड़ी मजदूरी, मोबाइल रिपेयरिंग, फास्ट फूड स्टॉल या फल बेचने जैसे छोटे-मोटे काम करते थे। इन युवाओं की शैक्षणिक योग्यता 5वीं से लेकर 12वीं तक ही थी। आर्थिक तंगी और आधुनिक जीवनशैली की चाहत ने उन्हें इस जाल में फंसने के लिए और भी कमजोर बना दिया।

सुहैल ने इन युवाओं को पहले दोस्ती और फिर मौज-मस्ती के नाम पर अपने करीब किया। इसके बाद उन्हें छोटे-छोटे काम देकर पैसे देना शुरू किया, जिससे उनका भरोसा जीत लिया गया। धीरे-धीरे इन कामों का दायरा बढ़ता गया और उन्हें ऐसे स्थानों पर ले जाया जाने लगा, जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं।

पूरे ऑपरेशन की सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसे बेहद सामान्य और निर्दोष

गतिविधि की तरह अंजाम दिया जा रहा था। आरोपी युवाओं को "रील बनाने" के नाम पर अलग-अलग जगहों पर ले जाते थे। वहां वे वीडियो और फोटो बनाते हुए आसपास के क्षेत्र की लोकेशन, गतिविधियों और अन्य अहम जानकारियां इकट्ठा करते थे। चूंकि यह सब सोशल मीडिया कंटेंट के रूप में किया जा रहा था, इसलिए किसी को उन पर शक भी नहीं होता था। जांच में यह भी सामने आया है कि ये युवक समूह बनाकर चलते थे, ताकि उनकी गतिविधियां और अधिक सामान्य लगें। कनॉट प्लेस और पहाड़गंज जैसे व्यस्त इलाकों के अलावा विदेशी नागरिकों, खासकर इजरायली नागरिकों के ठहरने वाले होटलों और वीवीआईपी मूवमेंट से जुड़ी सूचनाएं भी इकट्ठा की गईं। इन जानकारियों को बाद में डिजिटल माध्यम से बाहर भेजा जाता था।

पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि वे कई महीनों से इस नेटवर्क का हिस्सा थे और नियमित रूप से जानकारी साझा कर रहे थे। बदले में उन्हें नकद पैसे दिए जाते थे, जो उनके लिए एक बड़ा आकर्षण था।

इस पूरे मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। अब जांच का दायरा बढ़ाकर यह पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क के तार और किन-किन शहरों या राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस तरह के और भी नेटवर्क सक्रिय हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि एक गंभीर सुरक्षा चुनौती है। यह दिखाता है कि आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग किस हद तक किया जा सकता है। खासकर ऐसे समय में जब हर युवा अपने मोबाइल फोन के जरिए दुनिया से जुड़ा हुआ है, इस तरह के खतरे और भी बढ़ जाते हैं।

यह घटना समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि केवल कानून-व्यवस्था के स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। युवाओं को यह समझाना जरूरी है कि आसान पैसे के लालच में उठाया गया एक गलत कदम न केवल उनके भविष्य को बर्बाद कर सकता है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन यह मामला यह सोचने पर मजबूर करता है कि डिजिटल युग में जासूसी के तरीके कितने बदल चुके हैं—जहां अब बंदूक और गोपनीय दस्तावेजों की जगह मोबाइल कैमरा और सोशल मीडिया ने ले ली है।

निवेशकों के लिए नया मौका: 24 मार्च से खुलेगा साई पैरेंटेरल्स का IPO, फार्मा सेक्टर में बढ़ती दिलचस्पी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। शेयर बाजार में निवेश के अवसर तलाश रहे निवेशकों के लिए एक नया विकल्प सामने आया है। साई पैरेंटेरल्स लिमिटेड ने अपने 408.79 करोड़ रुपये के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की घोषणा कर दी है, जो 24 मार्च 2026 से आम निवेशकों के लिए खुलेगा। निवेशक इस इश्यू में 27 मार्च तक बोली लगा सकेंगे, जबकि एंकर निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन 23 मार्च को शुरू होगा।

कंपनी द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार, आईपीओ बंद होने के बाद 30 मार्च को शेयरों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल को सफल निवेशकों के डीमैट खातों में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे और 2 अप्रैल को कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने की संभावना है। यह पूरी प्रक्रिया निवेशकों के लिए तेज और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तय की गई है।

आईपीओ का प्राइस बैंड 372 से 392 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने लॉट साइज 38 शेयर तय किया है, जिसके तहत खुदरा निवेशकों को न्यूनतम 14,896 रुपये का निवेश करना होगा। वहीं अधिकतम 13 लॉट यानी 494 शेयरों के लिए निवेशक 1,93,648 रुपये तक की बोली लगा सकते हैं। इस तरह यह इश्यू छोटे और मध्यम निवेशकों दोनों के लिए अवसर प्रदान करता है।

इस इश्यू के तहत कंपनी कुल 1,04,28,288 शेयर जारी करेगी, जिनका अंकित मूल्य 5 रुपये प्रति शेयर है। इसमें 284.79 करोड़ रुपये के 72,70,408 नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 124 करोड़ रुपये के 31,57,880 शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी नई पूंजी जुटाने के साथ-साथ मौजूदा निवेशकों को आंशिक एग्जिट का मौका भी दे रही है।

आईपीओ में निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए हिस्सेदारी भी निर्धारित की गई है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण रखा गया है, जबकि खुदरा निवेशकों के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत और नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NII) के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा तय किया गया है। इस संतुलन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

इस इश्यू के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है, जबकि बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये संस्थाएं आईपीओ प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो साई पैरेंटेरल्स ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का शुद्ध लाभ 4.38 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 8.42 करोड़ रुपये और 2024-25 में 14.43 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह वृद्धि कंपनी के मजबूत बिजनेस मॉडल और बढ़ती मांग को दर्शाती है।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2025) में ही कंपनी 7.76 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा चुकी है, जो यह संकेत देता है कि साल के अंत तक प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है। आय के मामले में भी कंपनी ने लगातार वृद्धि दर्ज की है—2022-23 में 97.03 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 163.74 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। चालू वर्ष की पहली छमाही में कंपनी 89.43 करोड़ रुपये की आय अर्जित कर चुकी है।

फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करने वाली इस कंपनी का फोकस फॉर्मुलेशन निर्माण पर है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग के चलते एक संभावनाशील क्षेत्र माना जाता है। कोविड के बाद से हेल्थकेयर सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ी है, जिससे इस तरह के आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की संभावना रहती है।

हालांकि, बाजार विशेषज्ञ निवेशकों को सलाह देते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल, इंडस्ट्री ट्रेंड और जोखिम कारकों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण जरूर करें। आईपीओ में निवेश आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसमें बाजार जोखिम भी शामिल होते हैं।

कुल मिलाकर, साई पैरेंटेरल्स का यह आईपीओ उन निवेशकों के लिए एक नया अवसर लेकर आया है, जो फार्मा सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बाजार से इस इश्यू को कितना समर्थन मिलता है और लिस्टिंग के दिन इसका प्रदर्शन कैसा रहता है।

नई रोशनी की राह: भारत-अफ्रीका ऊर्जा साझेदारी से बदलता वैश्विक भविष्य

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बदलती वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बीच भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग का एक नया अध्याय तेजी से आकार ले रहा है। 'भारत बिजली शिखर सम्मेलन 2026' में उभरी तस्वीर यह संकेत देती है कि आने वाले समय में ऊर्जा केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि कूटनीतिक संबंधों और वैश्विक संतुलन का आधार भी बनने जा रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने जिस स्पष्टता और दूरदर्शिता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड आधुनिकीकरण और ऊर्जा भंडारण को इस साझेदारी के स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया, वह इस दिशा में भारत की गंभीरता को दर्शाता है।

भारत और अफ्रीका, जो मिलकर दुनिया की लगभग एक-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ऊर्जा सहयोग केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, रोजगार सृजन और जीवन स्तर में सुधार का माध्यम भी बन सकता है। लंबे समय तक ऊर्जा की कमी और असमान वितरण से जूझते रहे अफ्रीकी देशों के लिए भारत का अनुभव और तकनीकी क्षमता एक मजबूत सहारा बन सकती है।

इस सम्मेलन में उभरी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' रही, जिसे वैश्विक ऊर्जा कनेक्टिविटी के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल का मूल विचार यह है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों

में उपलब्ध सौर ऊर्जा को एक साझा ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि जहां दिन है वहां की अतिरिक्त ऊर्जा रात वाले क्षेत्रों तक पहुंचाई जा सके। यह न केवल ऊर्जा की उपलब्धता को संतुलित करेगा, बल्कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को भी कम करेगा।

भारत ने पिछले एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ते निवेश और तकनीकी नवाचार ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी भूमिका में ला खड़ा किया है। यही अनुभव अब अफ्रीकी देशों के साथ साझा किया जा रहा है। अफ्रीका, जहां सूर्य की प्रचुरता है लेकिन संसाधनों और तकनीक की कमी रही है, वहां यह साझेदारी क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।

ऊर्जा भंडारण यानी एनर्जी स्टोरेज भी इस सहयोग का एक अहम पहलू है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोत अनियमित होते हैं, इसलिए उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग में लाने के लिए ऊर्जा भंडारण की उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होती है। भारत इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है और अफ्रीका के साथ मिलकर इस तकनीक को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ग्रिड आधुनिकीकरण का मुद्दा भी इस साझेदारी में केंद्र में रहा। पुराने और जर्जर बिजली नेटवर्क न केवल ऊर्जा की हानि का कारण बनते हैं, बल्कि आपूर्ति में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। आधुनिक ग्रिड सिस्टम के जरिए ऊर्जा वितरण को अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। भारत ने अपने अनुभव के आधार पर स्मार्ट ग्रिड, डिजिटल मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन जैसी तकनीकों को अपनाया है, जो अब अफ्रीकी देशों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकती हैं।

इस पूरे सहयोग में एक और महत्वपूर्ण पहलू है—संस्थागत क्षमता निर्माण। केवल तकनीक उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे संचालित करने और बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की भी आवश्यकता होती है। भारत इस दिशा में भी अफ्रीकी देशों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सहयोग कर रहा है।

सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस साझेदारी को जमीनी स्तर पर लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना है कि जब तक ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतरेंगी, तब तक इनका वास्तविक लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। अफ्रीका 50 के सीईओ एलेन एबोबिन ने इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही कि अफ्रीका को अब केवल सहायता नहीं, बल्कि निवेश की आवश्यकता है। यह बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि अफ्रीकी देश अब आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और भारत जैसे साझेदार के साथ मिलकर दीर्घकालिक विकास की रणनीति बना रहे हैं।

ऊर्जा सहयोग के इस मॉडल का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। भारत और अफ्रीका दोनों ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रभावित क्षेत्र हैं, इसलिए यह साझेदारी उनके लिए दोहरी जीत साबित हो सकती है।

हालांकि, इस सहयोग के सामने कई चुनौतियां भी हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी, राजनीतिक अस्थिरता, तकनीकी बाधाएं और स्थानीय स्तर पर नीतिगत अड़चनें इस प्रक्रिया को धीमा कर सकती हैं। लेकिन यदि दोनों पक्ष मिलकर इन चुनौतियों का समाधान निकालते हैं, तो यह साझेदारी वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बन सकती है।

भारत-अफ्रीका ऊर्जा सहयोग केवल दो क्षेत्रों के बीच का समझौता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे भविष्य की झलक है जहां ऊर्जा संसाधनों का समान और न्यायसंगत वितरण होगा। यह साझेदारी विकासशील देशों के लिए एक नया रास्ता खोल सकती है, जहां वे एक-दूसरे के अनुभव और संसाधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं।

आज जब दुनिया ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानताओं जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे में भारत और अफ्रीका का यह कदम उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यह केवल एक रणनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि एक साझा सपना है—एक ऐसे विश्व का, जहां हर व्यक्ति को स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्ध हो सके।

चार साल का हिसाब: नशे पर प्रहार, अपराध पर वार-पंजाब में बदलती कानून-व्यवस्था की तस्वीर

(जीएनएस)। चंडीगढ़। बदलते भारत में राज्यों की कानून-व्यवस्था अब केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह विकास, निवेश और सामाजिक विश्वास का आधार बनती जा रही है। पंजाब में बीते चार वर्षों के दौरान जो तस्वीर उभरकर सामने आई है, वह इसी बदलाव की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जब अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, तो आंकड़ों और दावों के बीच एक स्पष्ट संदेश दिखाई दिया—नशे और संगठित अपराध के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अब जमीन पर असर दिखा रही है। मार्च 2022 से लेकर अब तक 95 हजार से अधिक तस्करों की गिरफ्तारी केवल एक संख्या नहीं, बल्कि उस लंबे संघर्ष का प्रतीक है, जो पंजाब वर्षों से नशे की समस्या के खिलाफ लड़ता आया है। 772 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करना यह दर्शाता है कि कार्रवाई केवल छोटे अपराधियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बड़े नेटवर्क और आर्थिक जड़ों पर भी प्रहार किया गया। 1100 से अधिक गिरोहों का भंडाफोड़ इस बात का संकेत है कि संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए रणनीतिक और निरंतर प्रयास किए गए हैं।

पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार इसकी दिशा और गति दोनों अलग नजर आती हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत 71 हजार से अधिक एफआईआर दर्ज होना यह बताता है कि कानून का उपयोग केवल कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे सक्रिय रूप से लागू किया गया। 5625 किलोग्राम हेरोइन, 3461 किलोग्राम अफीम और 1628 क्विंटल भुक्की की बरामदगी यह दिखाती है कि कार्रवाई केवल सतही नहीं, बल्कि गहराई तक की गई है।

इस पूरी मुहिम का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक नेटवर्क को तोड़ना भी रहा है। 54.47 करोड़ रुपये की ड्रग मनी की बरामदगी और 1556 तस्करों की संपत्तियों की जब्ती ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध के आर्थिक ढांचे को भी ध्वस्त करने की दिशा में काम कर रही है। 3440 भगोड़े अपराधियों की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि कानून से बचकर निकल जाना अब आसान नहीं रहा।

संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई में गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (AGTF) की भूमिका निर्णायक रही है। 2858 गैंगस्टरों की गिरफ्तारी और 1105 गिरोहों का भंडाफोड़ यह दर्शाता है कि राज्य में अपराध के बड़े नेटवर्क को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया गया। 2267 हथियारों और 655 वाहनों की बरामदगी यह बताती है कि अपराधियों के संसाधनों पर भी प्रभावी प्रहार किया गया है। 38 सनसनीखेज

मामलों का समाधान केवल पुलिस की सफलता नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करने वाला कदम भी है।

पंजाब की भौगोलिक स्थिति भी कानून-व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। पाकिस्तान के साथ लगती लगभग 560 किलोमीटर लंबी सीमा लंबे समय से नशे और हथियारों की तस्करी का रास्ता रही है। ऐसे में एंटी-ड्रोन सिस्टम की स्थापना एक तकनीकी और रणनीतिक बदलाव के रूप में सामने आई है। 806 ड्रोन की बरामदगी और 1472 ड्रोन गतिविधियों का पता लगाना यह दर्शाता है कि तस्करी के आधुनिक तरीकों का जवाब भी आधुनिक तकनीक से दिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए 341 अवैध हथियारों की बरामदगी इस बात का प्रमाण है कि यह कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि प्रभावी भी है।

हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दिशा में केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, और राज्य को अपने संसाधनों के बल पर ही यह व्यवस्था विकसित करनी पड़ी। इसके बावजूद जो परिणाम सामने आए हैं, वे राज्य की इच्छाशक्ति और रणनीतिक क्षमता को दर्शाते हैं। पुलिस सुधारों के क्षेत्र में भी पिछले चार वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिले हैं। 12 हजार से अधिक नई भर्तियां यह संकेत देती हैं कि पुलिस बल को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इसमें सब-इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक की नियुक्तियां शामिल हैं, जो जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करती हैं। इसके साथ ही 327 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से वाहनों की खरीद और पुलिस के आधुनिकीकरण के प्रयास यह दर्शाते हैं कि केवल मानव संसाधन ही नहीं, बल्कि तकनीकी और लॉजिस्टिक क्षमता को भी बढ़ाया गया है। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में शुरू की गई 'सड़क सुरक्षा फोर्स' एक नई और अनोखी पहल के रूप में सामने आई है। 5500 किलोमीटर से अधिक हाईवे को कवर करने वाली इस फोर्स ने दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को 48 प्रतिशत तक कम करने में सफलता हासिल की है। 43 हजार से अधिक हादसों में पीड़ितों की मदद और हजारों घायलों को अस्पताल पहुंचाना यह दिखाता है कि पुलिस की भूमिका केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं, बल्कि जनसेवा तक विस्तारित हो रही है।

इस पूरे रिपोर्ट कार्ड के दौरान भगवंत सिंह मान ने विपक्ष, विशेषकर अकाली नेतृत्व पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने गैंगस्टरों को संरक्षण दिया और अपराध को बढ़ावा दिया। हालांकि, यह राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव की वास्तविकता का आकलन जनता के अनुभव से ही होगा।

पंजाब जैसे राज्य के लिए, जिसने लंबे समय तक नशे और संगठित अपराध की चुनौतियों का सामना किया है, यह रिपोर्ट कार्ड केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक दिशा का संकेत है। यदि ये प्रयास निरंतर और पारदर्शी तरीके से जारी रहते हैं, तो आने वाले वर्षों में पंजाब न केवल कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी नई ऊंचाइयों को छू सकता है।

फिलहाल, यह कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की कहानी अब केवल समस्याओं की नहीं, बल्कि समाधान और सुधार की भी बनती जा रही है—जहां आंकड़े केवल गिनती नहीं, बल्कि बदलाव की गवाही दे रहे हैं।

सूरत वार्ड में मूर्ति विसर्जन विवाद: एसआई देवेन देसाई को बर्खास्त करने की मांग

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम के पश्चिम जोन (रंदर) के पाल गांव वार्ड कार्यालय में कार्यरत सहायक निरीक्षक देवेन देसाई ने 15/03/2026 को अपने वार्ड कार्यालय में एक टेम्पो मंगवाया और सफाईकर्मियों से पुरानी टूटी मूर्तियां, फ्रेम, धार्मिक तस्वीरें आदि एक बक्से में भरकर किसी समुद्र तट पर ले गए। अतः सहायक निरीक्षक के विरुद्ध उचित कार्रवाई के लिए अखिल भारतीय सफाई कामदार संगठन ने रंदर जोन के लोक स्वास्थ्य निरीक्षक देवेनभाई देसाई के विरुद्ध दुर्व्यवहार, अपने अधिकार का दुरुपयोग, अपने कार्यक्षेत्र से बाहर कार्य करने, सूरत नगर निगम के श्रेणी-4 सफाईकर्मियों को उनकी इच्छा या सहमति के विरुद्ध निषिद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करने, धमकी, दबाव या शारीरिक बल का प्रयोग करने और श्रेणी-4 सफाईकर्मियों के जीवन को खतरे में डालने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। इस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में अनिवार्य निष्कासन हेतु लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।गरवी गुजरात 2 5

सब-इंस्पेक्टर के काम की तस्वीरें और वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हो गए हैं। इन्हें देखकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उदाहरण के लिए, तस्वीरों में सफाईकर्मी समुद्र तट पर रखे टाम्पा से बक्से उतारकर नाव पर ले जा रहे हैं। नाव किसी निजी व्यक्ति की लग रही है, जिसे शायद किराए पर लिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार, हजीरा सागर में लगभग 5630 टूटी हुई मूर्तियां विसर्जित की गईं। यह अच्छी बात है कि सूरत नगर निगम पुरानी मूर्तियों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या नगर निगम ने इस तरह के काम के लिए कोई नीति तय की है? क्या सब-इंस्पेक्टर देवेन देसाई ने इस काम के लिए अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति ली है? उस समय जब सफाईकर्मी समुद्र में यह काम कर रहे थे, वहां न तो अग्निशमन कर्मी मौजूद थे और न ही कोई सुरक्षा उपाय किए गए थे। अगर समुद्र में कोई दुर्घटना होती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसी दूसरे के जीवन को खतरे में डालना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी, अब बीएनएस) के तहत एक गंभीर अपराध है। इस स्थिति को देखते हुए, सहायक अधिकारी देवेन देसाई ने अपनी वाहवाही बटोरने के लिए यह काम किया है। उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने भी ये तस्वीरें और वीडियो देखे होंगे, तो क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की? इसलिए, अखिल भारतीय सफाई कामदार संगठन इस घटना की तत्काल और गंभीर जांच की मांग करता है।

इसके अलावा, यह मांग भी की गई है कि जांच में हस्तक्षेप रोकने के लिए एसआई देवेन देसाई को तत्काल सेवामुक्त किया जाए। यदि उनकी मांग के अनुसार कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दिनों में सफाई कर्मचारी ऐसा काम नहीं करेंगे, और नगर आयुक्त को लिखित में यह भी मांग की गई है कि सभी विभागों को सूचित किया जाए कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना या उनकी जान जोखिम में डाले बिना कोई काम नहीं किया जाएगा।

एक महिला जिसे ब्रेन-डेड घोषित कर दिया गया था, उसे एम्बुलेंस द्वारा पुनर्जीवित किया गया, यह एक चमत्कारिक घटना थी

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। जब हम ऐसी कहानियां सुनते या देखते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इसे एक दैवीय चमत्कार मानते हैं। ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां विनीता शुक्ला नाम की एक महिला मरीज, जिसे अस्पताल में ब्रेन-डेड घोषित कर दिया गया था, को एम्बुलेंस के एक झटके से नया जीवन मिल गया।

घटना का विवरण इस प्रकार है कि 22 फरवरी को विनीताबेन अचानक अपने घर में बेहोश हो गईं। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बरेली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी गई। उन्हें दो दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया और फिर डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया, क्योंकि उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर से हटाते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बावजूद, परिवार ने उन्हें घर ले जाने का फैसला किया। 24 फरवरी को एक एम्बुलेंस उन्हें घर ले जा रही थी और घर में मातम का माहौल था। अंतिम संस्कार की तैयारियां पहले ही हो चुकी थीं। हालांकि, घर पहुंचने से पहले, सड़क पर एक गड्ढे के कारण जोरदार झटका लगा। गड्ढे वास्तव में जानलेवा होते हैं, लेकिन इस गड्ढे के झटके से विनीताबेन के शरीर ने फिर से सांस ली। उनके शरीर में हलचल देखकर उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। निजी अस्पताल के विशेषज्ञों को संदेह हुआ कि मरीज को सांप ने काट लिया होगा, इसलिए उन्होंने उसे विषनाशक इंजेक्शन दिया। लगभग 13 दिनों के इलाज के बाद विनीता शुक्ला अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं।